



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244099
CG-DL-E-03032023-244099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 995]
No. 995]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

का.आ. 1036(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति (कार्यकारी) के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 372(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	असम	विशेष न्यायाधीश न्यायालय, असम, गुवाहाटी।	असम राज्य
		अपर केंद्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय सं. 1 का न्यायालय, असम, गुवाहाटी	असम राज्य
		अपर केंद्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय सं. 2 का न्यायालय, असम, गुवाहाटी	असम राज्य

		अपर केंद्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय सं. 3 का न्यायालय, असम, गुवाहाटी	असम राज्य
--	--	--	-----------

[फा. सं. सी-18015/44/2022-ऐडी.ईडी]

संदीप गहलोत, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 372(अ), तारीख 05 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. संख्यांक 1648(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2023

S.O. 1036(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice (Acting) of Gauhati High Court at Guwahati, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 3 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
“3	Assam	Court of Special Judge, Assam, Guwahati.	The State of Assam.
		Court of Additional Central Bureau of Investigation Court No. 1, Assam, Guwahati.	The State of Assam.
		Court of Additional Central Bureau of Investigation Court No. 2, Assam, Guwahati.	The State of Assam.
		Court of Additional Central Bureau of Investigation Court No. 3, Assam, Guwahati.	The State of Assam”.

[F. No. C-18015/44/2022-Ad.ED]

SANDEEP GAHLOT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and lastly amended *vide* S.O. 1648(E), dated 15th April, 2021.